गुरुग्राम में एक नया जिला बने जिसका नाम मानेसर रखा जाए : महापंचायत

ब्यूरो/गुड़गांव मेल

गुड़गांव, 17 जनवरी। हरियाणा सरकार प्रदेश में नए जिले बनाना चाह रही है। जिसमें मानेसर भी एक नया जिला होगा। उसके लिए हरियाणा सरकार में एक कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें कृष्ण लाल पवार उस कमेटी के अध्यक्ष है।

हरियाणा प्रदेश में नए जिले बनाने को लेकर उस कमेटी की दो मीटिंग हो चुकी है।

इसी संदर्भ में आज पवन यादव कार्यालय पर सेक्टर 1 मानेसर में मानेसर के सभी मुख्य लोग इकट्ठा हुए और नए बनने वाले जिले का नाम मानेसर हो व जिला मुख्यालय भी मानेसर में ही हो इसके लिए आज एक मीटिंग रखी गई ।

मीटिंग में सभी लोगों ने सर्व सहमति से तय किया कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा आने वाले समय में इसके लिए महापंचायत व आंदोलन भी किया जाएगा। आने वाली 19 तारीख सुबह 9:00 बजे गांव मानेसर के बाबा भीष्म मंदिर में इसी विषय को लेकर फिर से गांव मानेसर की पंचायत होगी। वहां पर निर्धारित किया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति और क्या कार्रवाई की जाए किस प्रकार से जन समर्थन जोड़ा जाए और किस प्रकार से मुख्यमंत्री सांसद व यहां के विधायक को ज्ञापन दिया जाए और पूर्णतया सभी सर्व सहमति से आवाज़ उठाएं की नया जिला गुड़गांव के बाद मानेसर ही होगा व इसका मुख्यालय भी मानेसर ही होगा ।

इस मीटिंग में पूर्व पार्षद अजीत सिंह, कर्नल पर्वत सिंह, केके यादव, सुखबीर नंबरदार, दया किशन नंबरदार, मलखान नंबरदार भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष देवेंद्र यादव, थानेदार अभिमन्यु, कैप्टन मामराज, सूबेदार रमेश, पूर्व आर डब्ल्यू ए उपाध्यक्ष कृष्ण यादव, बीजेपी के पूर्व मंडल युवा अध्यक्ष प्रवीण यादव, हरपाल बोहरा, समाजसेवी जय प्रकाश, अमन यादव, नरेश यादव, अनिल पहलवान, धर्मवीर मनकी, सज्जन यादव, आरएसएस से नरेश, मनोज पहलवान व सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए।

पवन यादव ने बताया की गुड़गांव जिले में नया जिला बनाने की जो आवश्यकता है वह मानेसर के औद्योगिक व जनसंख्या विकास के कारण ही हुई है, मानेसर में पुलिस लाइन पहले से है डीसीपी ऑफिस हमारे पास है , उपमंडल का दर्जा मानेसर को प्राप्त हो चुका है नगर निगम मानेसर पहले ही बन चुका है और जिला बनाने के लिए आवश्यक साधन और संसाधन भी मानेसर के पास है।

इस प्रकार से मानेसर का ही हक होता है कि नया जिले का नाम मानेसर हो व मानेसर में ही इसका मुख्यालय हो। अजीत पूर्व पार्षद ने बताया की तावडू, बिलासपुर, फरुखनगर के लोग भी मानेसर जिले में ही शामिल होना चाहते है पूरा जन समर्थन उसे क्षेत्र से मानेसर के लिए ही होगा । कर्नल पर्वत सिंह ने मजबूती से कहा कि हमें इस मुद्दे को आगे तक लेकर जाना है और इसके लिए हमें अपने सांसद व विधायक से मिलना है और उन पर पुरजोर दबाव डालना है कि जिले की आवश्यकता मानेसर की वजह से ही हुई है और मानेसर इस के लिए सबसे अनुकूल जगह है और हमारा हक हमे मिलना चाहिए । सुखबीर नंबरदार ने इस मीटिंग में कहा की इतवार 9:00 बजे बाबा भीष्म पर इस विषय पर पंचायत होगी वह आगे की रणनीति वहां पर तय की जाएगी, मलखान नंबरदार वह दया किशन नंबरदार ने भी इसी का समर्थन किया।

अभिमन्यु थानेदार ने कहा मानेसर का हक इस जिले के नामकरण व जिले के मुख्यालय के तौर पर सबसे ज्यादा है क्योंकि मानेसर नगर निगम पहले से ही बना हुआ है तो यहां पर सहूलियत के हिसाब से सरकार को आसानी होगी। केके यादव ने बताया कि सारा क्षेत्र मानेसर के साथ है और इसके लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आवश्यक ड्राफ्ट जल्दी तैयार कर लिए जाएंगे। यह मीटिंग तकरीबन एक घंटा चली ओर सभी ने मजबूती से नए जिले का नाम मानेसर और मुख्यालय मानेसर में रखने के लिए जोर दिया और सहयोग की लिए तैयार रहने आश्वाशन दिया।

बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के विश्वदीप सदस्य नियुक्त

शांतिप्रकाश जैन/गुड़गांव मेल

रोहतक, 17 जनवरी। जिला बार एसोसिएशन के वर्तमान लाइब्रेरी इंचार्ज विश्वदीप एडवोकेट को बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ का

एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बार काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपनी नियुक्त पर बार काउंसिल पंजाब व हरियाणा चंडीगढ़ के चेयरमैन डॉ विजेंद्र सिंह अहलावत व महासचिव करमजीत सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, वह पूरी ईमानदारी से उसका निर्वहन करेंगे। विश्वदीप एक सामाजिक और राजनीतिक परिवार से है इनके पिता कुलदीप भारद्वाज भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ व सक्रिय सदस्य भी है।

राव नरबीर सिंह ने किया अहीरवाल क्षेत्र के प्रथम विधायक बाबू मोहर सिंह के नवनिर्मित स्मारक का लोकार्पण

ब्यूरो/गुड़गांव मेल

रेवाड़ी, 17 जनवरी। उद्योग, वाणिज्य, वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने शुक्रवार को ज़िले के गांव कंवाली स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अहीरवाल क्षेत्र के प्रथम विधायक बाबू मोहर सिंह के नवनिर्मित स्मारक का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बाबू राव मोहर सिंह रेवाड़ी के अलावा अन्य कई जिलों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में अहम भूमिका निभाई। वे शैक्षणिक क्रांति के जनक एवं अग्रदूत रहे थे।

गौरतलब है कि बाबू मोहर सिंह अविभाजित पंजाब में पहली बार 1942, दूसरी बार 1946 में विधायक तथा 1954 में एमएलसी रहे। वे अहीरवाल के प्रथम विधायक के अलावा सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली के अहीरवाल क्षेत्र से प्रथम स्नातक भी थे। लाहौर यूनिवर्सिटी से कानूनी पढ़ाई के बाद उन्होंने अहीरवाल में शैक्षणिक क्रांति की अलख जगाई तथा क्षेत्र में करीव एक दर्जन शैक्षणिक संस्थाएं खुलवायीं। आसपास शिक्षण संस्थान नहीं होने के कारण बेटियों को शिक्षा हासिल करने में काफ़ी कठिनाई होती थी। इन परिस्थितियों के मद्देनजर उन्होंने ब्रेन हाई स्कूल रेवाड़ी, जुबली अहीर स्कूल रेवाड़ी, श्री कृष्ण हाई स्कूल कंवाली, अहीर कॉलेज रेवाड़ी, जे.बी.टी. सेंटर रेवाड़ी, क्राफ्ट एवं ड्राईंग टीचर सेंटर रेवाड़ी, द्रोणाचार्य कॉलेज गुड़गाँव, श्री कृष्ण हाई स्कूल ढ़ाणा खुर्द हांसी आदि खुलवाने में उल्लेखनीय योगदान।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारे युवा वर्ग को शैक्षणिक क्रांति के ऐसे पुरोधा, प्रखर राजनीतिज्ञ, निष्पक्ष समाजसेवी, दूरद्रष्टा चिंतक के दिखाएं रास्ते पर चलते हुए देश की उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए। राव नरबीर सिंह ने प्रतिमा का अनावरण करने के बाद में स्कूल में पौधरोपण भी किया।

उन्होंने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। हमें कागज की बर्बादी को रोकना होगा ताकि पेड़ों की कटाई कम से कम हो। शादियों में छपने वाले कार्डों की जगह आमजन को ऑनलाइन निमंत्रण देने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत उन्होंने स्वयं अपने घर की शादी में ऑनलाइन निमंत्रण देकर की थी।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूल में जल्दी स्टाफ की कमी पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम होती संख्या एक चिंता का विषय है। इसको लेकर सरकार गंभीर है और लगातार इस दिशा में सुधार किया जा रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने विद्यालय में विभिन्न कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की।

इस दौरान उनके साथ ममता यादव एचपीएससी सदस्य, जिला शिक्षा अधिकारी कपिल पूनिया, अनिल यादव प्रधानाचार्य व अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

पार्षदों ने अधिकारियों का एक घंटा इंतजार के बाद लगभग एक दर्जन पार्षद होने वाली मीटिंग का किया बहिष्कार

ब्यूरो/गुड़गांव मेल

सोहना, 17 जनवरी। नगर परिषद में पहली बार एक दर्जन पार्षदों का मीटिंग का बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। नगर परिषद द्वारा 17 जनवरी 2025 को पार्षदों की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा था। जिसकी अध्यक्षता रीना देवी प्रधान द्वारा की गई मीटिंग का समय 11:00 बजे का निर्धारित किया गया था जबकि सभी पार्षद निर्धारित समय पर मीटिंग सदन में पहुंच गए। लेकिन नगर परिषद विभाग के अधिकारी मीटिंग में समय पर नहीं पहुंच पाए पार्षदों द्वारा अधिकारियों के ना आनेसे एक घंटा इंतजार करने के बाद नाराज होकर मीटिंग का बहिष्कार कर दिया।

जैसे ही मीटिंग का बहिष्कार करने के बाद वापस आ रहे तो इस दौरान विधायक चौधरी तेजपाल तंवर के साथ विभाग के अधिकारी भी मीटिंग के लिए सदन में पहुंचे लेकिन एक दर्जन पार्षद मीटिंग में ना पहुंचकर अपने घर पर पहुंच गए ऐसा पहली बार नगर परिषद विभाग में देखा गया है जिसमें एक दर्जन पार्षद ने मीटिंग का बहिष्कार करके चले गए विधायक चौधरी तेजपाल तवर ने आधा दर्जन से ज्यादा पार्षदों की मीटिंग की शुरुआत की आयोजित मीटिंग में लगभग डेढ़ दर्जन एजेंडा रखे गए थे जिसमें देवीलाल खेल स्टेडियम सोहना को वार्ड नंबर 4 बालूदा मैं तब्दील करने वाले तथा दमदम मार्ग पर दीनदयाल पार्क का निर्माण के आगे दुकान बनाने का एजेंडा रखा गया था।

लेकिन मीटिंग में मौजूद अधिकांश पार्षदों ने दोनों एजेंडा को पूरी तरह से विरोध करते हुए पेंडिंग में डाल दिया जबकि विभाग के अधिकारी चाहते थे कि दोनों प्रस्ताव को भी मंजूर कर दिया जाए लेकिन उनको पेंडिंग में डाल देगा मीटिंग में आधा दर्जन बाढ़ में जो कि शहर के अंदर आते हैं। उनमें सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए छह दर्जन लगभग सफाई कर्मचारियों का टेंडर लगाने का प्रस्ताव पास किया तथा 5000 नई लाइट ऑन की भी मंजूरी दी गई है ताकि प्रत्येक बाढ़ में 200 लाइट लगाई जा सके इसके अलावा 2022 में हुए चुनाव में लगे टेंट का बिल की भी आ जाएगी को मंजूरी दी गई है।

कार्यकारी अभियंता अजय पंघाल ने बताया कि सरकार की ओर से 50 लख रुपए की राशि ग्रैंड के रूप में आई है जो की मशीनों में प्रयोग की जा सकेगी जैसे ट्रैक्टर जेसीबी मशीन आदि है इसके अलावा फाउंटेन चौक पर मार्केट वाले रास्ते पर खुले रूप से बकरा तथा सूअर काटकर बिक्री करने वाली दुकान को तुरंत प्रभाव से हटाने के लिए तथा सलाटर हाउस अन्य जगह बनाए जाने का प्रस्तावित मंजूर कर दिया फाउंटेन चौक का निर्माण पूरा करने के लिए मार्च तक का समय निर्धारित किया गया।

विधायक चौधरीतेजपाल तवर ने कहा कि शहर में कहीं भी खुले रूप से मीट की दुकान नहीं होने दी जाएगी जिसके लिए एक स्थान स्लॉटर हाउस का निर्माण किया जाएगा ताकि खुले रूप से mit की बिक्री ना हो सके इतना ही नहीं प्रत्येक बाढ़ में 50 सीटिंग बेंच का भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया यह भी प्रस्ताव पास किया गया है कि नगर परिषद विभाग अतिक्रमण के बढ़ते लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए एक टू व्हीलर की खरीदारी भी करेगी जिससे कि शहर के बाजारों में खड़ी गाड़ियां को पुलिस प्रशासन के माध्यम से हटाया जाए 31 आंगनबाड़ी द्वारा चुनाव में किए गए काम का वेतन न मिलने कारण विभाग द्वारा जल्द ही उनका भुगतान कर दिया जाएगा चित्रगुप्त चौपड़ का निर्माण करने के तथा जगह भी चिन्हित करके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

कार्यकारी अभियंता अजय पंघाल ने बताया कि नगर परिषद विभाग द्वारा करने जाने वाले विकास कार्य 195 है जिनमें 27 कामों की वर्क आर्डर जारी कर दिए गए 22 टेंडर लग गए हैं जबकि 42 स्टैंडर्ड रिटेंडर कार्य हो रहा है 74 टेंडर प्रोग्रेस में चल रहे हैं जो जल्द ही पूरे होकर टेंडर लगाकर वर्क आर्डर दे दिया जाएगा उपस्थित पार्षदों ने प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी अपना गुस्सा निकाला विधायक चौधरी तेजपाल तवर ने विभाग के अधिकारी कार्यकारी अधिकारी मैडम सुमन लता कार्यकारी अभियंता अजय पंघाल कनिष्ठ अभियंता दिगंबर सिंह अब्दुल्बा लेखाधिकारी प्रवीण यादव म्यूनिसिपल इंजीनियर राजपाल खटाना आदि को चेताया कि नागरिकों की होने वाली समस्या का समाधान जल्द किया जाए यदि कोई अधिकारी अपने काम में लापरवाही करता है तो उसको तबादला करने में कोई देरी नहीं की जाएगी।

लगभग आधा दर्जन से ज्यादा स्वागत गेट सौंदर्य करण के रूप में बनाया जाएगा तथा सभी बाड़मे आधा दर्जन से ज्यादा साइन बोर्ड की भी मंजूरी दे दी गई है साइन बोर्ड लगने से बाहर से आने वाले लोगों को अपने स्थान पर पहुंचने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा मीटिंग में प्रस्ताव तो पास कर दिए लेकिन अब यह देखना होगा कि कितने दिन में विकास कार्य करने की मंजूरी मिल पाती है।

आयोजित मीटिंग में कपिल सैनी साहिल मनोज अवाना सत्येंद्र घोड़ारोप नौबत सैनी राकेश रोहिल्ला आदि पार्षद मौजूद रहे।

Carrier

कैरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड

सीआईएनः U74999HR1992FLC036104
पंजीकृत कार्यालयः नरसिंहपुर, खेड़की दौला पोस्ट,
दिल्ली – जयपुर हाईवे, गुरुग्राम – 122004, हरियाणा, भारत
ई–मेलः secretarial@carrier.com; वेबसाइटः www.carrierindia.com
टेलीफोनः +91–0124 4825500

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ) कंपनी के अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश और संबंधित इक्विटी शेयरों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीफ) में स्थानांतरित करने की सूचना

समय–समय पर संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 (**"नियम"**) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (**"अधिनियम"**) की धारा 124 (5) और 124 (6) के प्रावधानों के अनुसार यह सूचना दी जाती है। कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अवैतनिक/दावा न किए गए अंतरिम लाभांश को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने की नियत तारीख, जो लगातार 7 वर्षों से कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में पड़ी है, **19 अप्रैल, 2025** है और सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश लगातार 7 वर्षों तक अवैतनिक/दावा न किया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों और उनके फोलियो नंबर या डीपी आईडी क्लाइंट आईडी का पूरा विवरण अपनी वेबसाइट **https://www.carrierindia.com** पर निवेशक अनुभाग **"कंपनी की वेबसाइट"** के अंतर्गत अपलोड किया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे दावा न किए गए लाभांश और आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने वाले शेयरों के विवरण को सत्यापित करें।

अतः संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे लिखित आवेदन भेजकर (क) पैन कार्ड की प्रति (ख) पंजीकृत बैंक खाते का रह चेक और (ग) मूल गैर–नकय लाभांश वारंट या कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध विधिवत नरा क्षतिपूर्ति बांड के साथ दावा न किए गए लानांश का दावा करें और इसे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (**आरटीए**) यानी लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एनएच–2, सी–1 ब्लॉक, एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली–110068, भारत, ईमेल आईडीः **delhi@linkintime.co.in;** वेबसाइट **https://www.linkintime.co.in/** पर **18 अप्रैल, 2025** को या उससे पहले भेजें।

यदि उक्त तिथि तक लाभांश का दावा नहीं किया जाता है तो कंपनी द्वारा नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे दावा न किए गए या भुगतान न किए गए लाभांश को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं और जिन्हें आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाना है, कृपया ध्यान दें कि कंपनी उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले में सुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी होने पर, उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही रह हो जाएंगे और नियमों के अनुसार गैर–परक्राम्य माने जाएंगे। डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी होने के बाद कंपनी शेयरों को डीमैट फॉर्म में जमा करने और आईईपीएफ के पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए कॉपोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। जो शेयर डीमैट फॉर्म में रखे गए है, उनके लिए कंपनी आईईपीएफ के पक्ष में कॉर्परिट कार्रवाई के साध्यम से डिपॉजिटरी के माध्यम से शेयरों के हस्तांतरण की प्रक्रिया करेगी।

कृपया ध्यान दें कि एक बार लाभांश और संबंधित शेयर आईईपीएफ में जमा हो जाने के बाद, उक्त नियमों के अनुसार आईईपीएफ में हस्तांतरित अघोषित लाभांश राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त शेयरों के संबंध में अर्जित होने वाले सभी बाद के कॉर्पोरेट लाभ जैसे बोनस शेयर, लाभांश आदि भी आईईपीएफ खाते में जमा किए जाएंगे।

शेयरधारक नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने और फॉर्म आईईपीएफ–5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को अलग से आवेदन करने के बाद आईईपीएफ को हस्तांतरित लाभांश और संबंधित शेवरों सहित ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभों, यदि कोई हो, का दावा आईईपीएफ अधिकारियों से कर सकते हैं. जो आईईपीएफ वेबसाइट यानी **www.iepf.gov.in** पर उपलब्ध है। शेयरखारक इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन के लिए कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं।

यदि शेयरधारकों को विषय वस्तु और नियमों पर कोई प्रश्न हों, तो वे कंपनी के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं, जिसके पास ऊपर उल्लिखित विवरण हो या कंपनी के नोडल अधिकारी से 91–0124 4825500 पर संपर्क कर सकते हैं या **secretarial@carrier.com** पर ईमेल लिख सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से
कृत्ते कैरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड
हस्ता./–
एकता
कंपनी सचिव

दिनांकः 17 जनवरी, 2025
स्थानः गुरुग्राम

नियमों की अवहेलना कर रही डिफाल्टर सोसायटियों पर चलेगा रजिस्ट्रार का डंडा

-सोसायटी नियमों की अवहेलना कर रही संस्थाओं के विरुद्ध की जाएगी कार्यवाही
-मार्च माह तक का अंतिम समय है संस्थाओं के पास
-डिफाल्टर सोसायटियों की तैयार की जा रही सूची

ब्यूरो/गुड़गांव मेल

गुड़गांव, 17 जनवरी। जो सोसायटियां अपने अनिवार्य वार्षिक दस्तावेज जमा करवाने और चुनावों के नियमों का पालन करने के मामले में उदासीन रूख अपनाए हुए हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन संस्थाओं में शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल जैसी प्रमुख सोसाइटीज ने अनिवार्य दस्तावेजों को मार्च 2025 तक दाखिल नहीं किया तो उन्हें मृत घोषित कर विघटन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह जानकारी शुक्रवार को फर्म एवं सोसायटीज के जिला रजिस्ट्रार लोकेश ने अपने कार्यालय में दी।

फर्म एंड सोसायटीज के जिला रजिस्ट्रार लोकेश के मुताबिक कई संस्थाओं ने वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं की है, जो उनकी कानूनी स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इन दस्तावेज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जरूरी जानकारी होती है। मार्च माह तक ये दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए तो इन सोसाइटीज को विघटित घोषित किया जाएगा। यह केवल सोसायटी के कानूनी नियमों का उल्लंघन ही नहीं है, बल्कि इस ढिलाई की वजह से संस्था के हितधारकों का विश्वास भी टूटता है। उन्होंने बताया कि फाइलिंग के अलावा कई सोसायटियों ने अपनी शासी निकायों के लिए चुनाव भी नहीं करवाए हैं।

सोसायटी को अपनी वार्षिक सामान्य सभा या असाधारण सामान्य सभा की बैठकें कानूनी नियमों के अनुसार आयोजित करनी होती हैं। लेकिन इसका भी संस्थाओं द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है।

जिला रजिस्ट्रार ने बताया कि नियमों की अवहेलना कर रही संस्थाओं को ई–मेल से औपचारिक नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें उन्हें सुधार का एक अंतिम मौका दिया जाएगा। वे ऐसा नहीं करती हैं तो विघटन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल सभी डिफॉल्टर सोसाइटीज की सूची तैयार की जा रही है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए संस्थाएं उद्योग विहार सहित फर्म एंड सोसायटीज के कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।

पीपीपी को लेकर प्रदेश की जनता से माफी मांगे खट्टर–सैनी : सुरजेवाला

ब्यूरो/गुड़गांव मेल

चंडीगढ़ 17 जनवरी। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा की खट्टर व नायब सिंह सैनी सरकारों द्वारा प्रदेश के करोड़ों लोगों के साथ पिछले छः साल से पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) के नाम पर की जा रही जोर जबरदस्ती, धक्काशाही, उत्पीड़न, और खुली लूट के लिए राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा तत्काल बिना शर्त माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा इस तुगलकी योजना के जरिए पीपीपी को अनिवार्य करने की बाध्यता को हटाए जाने पर प्रदेश के करोड़ों लोगों ने राहत की साँस ली है।

यहाँ जारी एक बयान में रणदीप ने कहा कि वे आरंभ से ही इस योजना का सक्रिय विरोध करते आए हैं क्योंकि राज्य सरकार हर सेवा के लिए पीपीपी को अनिवार्य दस्तावेज बनाने पर तुली हुई थी। यहाँ तक कि पेयजल कनेक्शन, स्वास्थ्य सुविधाएं, बिजली, और अन्य मूलभूत जरूरतों के लिए भी यह दस्तावेज ऐच्छिक की बजाय अनिवार्य कर दिया गया। सुरजेवाला ने कहा कि वास्तव में पीपीपी योजना परिवार परेशानी योजना और परमानेंट परेशानी योजना साबित हुई है। इसके कारण न केवल लाखों लोग महीनों तक लाईनों में खड़े रहने को मजबूर हुए, बल्कि इससे हर कदम पर प्रदेशवासियों से भ्रष्ट कर्मचारियों व अधिकारियों ने करोड़ों रुपये की लूट की। इसके लिए सीधे खट्टर और नायब सिंह सैनी दोषी हैं, और उनसे तत्काल प्रदेश की जनता से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है।

रणदीप ने कहा कि इस तरह की तुगलकी योजना खट्टर और सैनी नहीं, बल्कि पूरी भाजपा की मानसिकता को दर्शाती है। इन सभी का एकमात्र काम लोगों को फिजूल के झंझटों में उलझाकर असली मुद्दों से भटकाए रखने का है।

रणदीप ने इस बात पर संतुष्टि जताई कि आखिरकार हाईकोर्ट से ही सही, कम से कम हरियाणा की भाजपा सरकार की इस पीपीपी के नाम पर की जा रही तानाशाही, उत्पीड़न व खुली लूट पर अब रोक लग सकेगी। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार से 29 जनवरी तक अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की है।